

परिपत्र संख्या 243/37/2024 -जीएसटी

एफ. संख्या सीबीआईसी-20001/14/2024 -जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी पॉलिसी विंग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

तारीख : 31 दिसंबर, 2024

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर ।
सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक ।

महोदया/महोदय,

विषय: वाउचरों के जीएसटी व्यवहार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण - के संदर्भ में।

व्यापार एवं उद्योग के साथ-साथ क्षेत्रीय संरचनाओं से वाउचर के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टता संबंधित संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जैसे कि क्या वाउचर में लेन-देन वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति है, क्या वितरक/उप-वितरक द्वारा वाउचर के व्यापार पर जीएसटी लगाया जा सकता है; और क्या अनुद्धारित (भंग) वाउचर कर योग्य हैं। यह कहा गया है कि क्षेत्रीय स्तर पर इन मुद्दों पर अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए जा रहे हैं, जिसके कारण अस्पष्टता और अभियोग की स्थिति पैदा हो रही है।

2. तदनुसार, व्यापार और उद्योग में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्रीय संरचनाओं में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे "सीजीएसटी अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 168 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित मुद्दों को स्पष्ट करता है।

3. मुद्दा 1 - क्या 'वाउचरों में लेन-देन' 'वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति' की श्रेणी में आता है?

3.1 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रासंगिक कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(i) धारा 2(52) - "माल" से धन और प्रतिभूतियों के अलावा हर प्रकार की चल संपत्ति अभिप्रेत है, किन्तु इसमें कार्रवाई योग्य दावा, उगती फसलें, घास और भूमि से जुड़ी या उसका भाग बनने वाली चीजें शामिल हैं, जिन्हें आपूर्ति से पहले या आपूर्ति के अनुबंध के तहत अलग करने की सहमति हो गई है;

(ii) धारा 2(102) - "सेवाओं" का तात्पर्य माल, धन और प्रतिभूतियों के अलावा किसी अन्य चीज से है, किन्तु इसमें धन के उपयोग या नकदी द्वारा या किसी अन्य तरीके से एक रूप, मुद्रा या मूल्यवर्ग से दूसरे रूप, मुद्रा या मूल्यवर्ग में उसके रूपांतरण से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं, जिसके लिए अलग से प्रतिफल लिया जाता है;

स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "सेवाओं" में प्रतिभूतियों में लेनदेन को सुविधाजनक बनाना या व्यवस्थित करना सम्मिलित है;]

(iii) धारा 2(118) - "वाउचर" से तात्पर्य ऐसे उपकरण से है, जहां माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए उसे प्रतिफल या आंशिक प्रतिफल के रूप में स्वीकार करने की बाध्यता है और जहां आपूर्ति किए जाने वाले माल या सेवाओं या दोनों या उनके संभावित आपूर्तिकर्ताओं की पहचान या तो उपकरण पर या संबंधित दस्तावेज में इंगित की गई है, जिसमें ऐसे उपकरण के उपयोग की शर्तें और नियम शामिल हैं;

(iv) धारा 2(75) - "धन" का तात्पर्य भारतीय वैध मुद्रा या कोई विदेशी मुद्रा, चेक, वचन पत्र, विनिमय पत्र, साख पत्र, ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, यात्री चेक, मनीऑर्डर, डाक या इलेक्ट्रॉनिक धन प्रेषण या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य लिखत से है, जिसका उपयोग किसी दायित्व के निपटान या किसी अन्य मूल्यवर्ग की भारतीय वैध मुद्रा के साथ विनिमय के लिए प्रतिफल के रूप में किया जाता है, किन्तु इसमें कोई ऐसी मुद्रा शामिल नहीं होगी जो उसके सिक्कात्मक मूल्य के लिए रखी गई हो;

(v) धारा 2(1) - "अनुयोज्य दावे" का वही अर्थ होगा जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 3 में दिया गया है;

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में " अनुयोज्य दावे " की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: -

"अनुयोज्य दावे" का अर्थ है किसी ऋण के लिए दावा, अचल संपत्ति के बंधक या चल संपत्ति के गिरवी या प्रतिज्ञा द्वारा सुरक्षित ऋण के अलावा, या चल संपत्ति में किसी लाभकारी हित के लिए जो दावेदार के कब्जे में नहीं है, चाहे वह वास्तविक हो या व्यावहारिक, जिसे सिविल न्यायालय राहत के लिए आधार प्रदान करने के रूप में मान्यता देता है, चाहे इस प्रकार का ऋण या लाभकारी हित विद्यमान हो, एकत्रित हो, सशर्त हो या आकस्मिक हो";

(vi) धारा 2(102ए) - "निर्दिष्ट अनुयोज्य दावे " से तात्पर्य निम्नलिखित में या इनके माध्यम से शामिल कार्रवाई योग्य दावे से है-
(i) सट्टेबाजी; (ii) कैसीनो; (iii) जुआ; (iv) घुड़दौड़; (v) लॉटरी; या (vi) ऑनलाइन मनी गेमिंग।

(vii) धारा 7 (2)- उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,-

(क) अनुसूची III में निर्दिष्ट गतिविधियाँ या लेनदेन ; या

.....

इसे न तो माल की आपूर्ति माना जाएगा और न ही सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।

(viii) **अनुसूची III**- ऐसी गतिविधियाँ या लेन-देन जिन्हें न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा:

.....

6. विनिर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों के अलावा कार्रवाई योग्य दावे।

.....

3.2 सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(118) के तहत वाउचर की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि "वाउचर" भुगतान का साधन हो सकता है जो आपूर्तिकर्ता पर माल और/या सेवाओं की आपूर्ति के लिए इसे विचार या आंशिक विचार के रूप में स्वीकार करने का दायित्व बनाता है। भारत में पूर्व भुगतान किए गए साधनों सहित भुगतान साधन को जारी करना, भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007, आरबीआई के मुख्य निर्देशों और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक अधिसूचनाओं/परिपत्रों/संचारों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित किया जाता है।

3.3 आरबीआई द्वारा परिभाषित "पूर्व भुगतान साधन" (पीपीआई) वे भुगतान साधन हैं जो उन साधनों पर संग्रहीत मूल्य के प्रतिकूल वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं। ऐसे साधन पर संग्रहीत मूल्य धारक द्वारा नकद, बैंक खाते में डेबिट या क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान किए गए मूल्य को दर्शाता है। पूर्व भुगतान साधन को कार्ड, वॉलेट और ऐसे किसी भी फॉर्म/साधन के रूप में जारी किया जा सकता है जिसका इस्तेमाल पीपीआई तक पहुंचने और उसमें मौजूद राशि का इस्तेमाल करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(75) के अनुसार, "धन" में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त एक साधन शामिल है जिसका उपयोग किसी दायित्व को निपटाने हेतु एक विचार के रूप में किया जाता है।

3.4 सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(118) के अनुसार "वाउचर" की परिभाषा के साथ-साथ सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(75) के अनुसार "धन" की परिभाषा और आरबीआई द्वारा दिए गए "पूर्व भुगतान साधन" के विवरण को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट होता है कि जहां वाउचर को आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पूर्व भुगतान साधन के रूप में चिह्नित किया जाता है और किसी दायित्व को निपटाने के लिए विचार के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ऐसे मामलों में वाउचर "धन" की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। ऐसे मामले में, चूंकि "धन" को क्रमशः सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(52) और धारा 2(102) में प्रदत्त वस्तुओं और सेवाओं की परिभाषा से बाहर रखा गया है, इसलिए वाउचर में लेन-देन को न तो वस्तुओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में।

3.5. ऐसे मामलों में, जहां वाउचर को आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पूर्व भुगतान साधन के रूप में शामिल नहीं किया गया है और इसलिए, इसे धन के रूप में नहीं माना जा सकता है, वाउचर आपूर्तिकर्ता पर इसे विचार या आंशिक विचार के रूप में प्राप्त करने और लाभार्थी/वाउचर धारक को वाउचर या संबंधित दस्तावेज़ पर निर्दिष्ट कुछ वस्तुओं और/या सेवाओं का दावा करने का आश्वासन देने के लिए एक दायित्व की प्रकृति का होगा। ऐसे मामलों में, वाउचर को संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(1) के अर्थ में "अनुयोज्य दावे" के रूप में माना जा सकता है।

3.6 इसके अतिरिक्त, सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची III के पैरा 6 के अनुसार, निर्दिष्ट अनुयोज्य दावे के अलावा, अनुयोज्य दावे की गतिविधि या लेनदेन को न तो "माल की आपूर्ति" और न ही "सेवाओं की आपूर्ति" के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(102ए) के अनुसार, निर्दिष्ट अनुयोज्य दावे का तात्पर्य सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी या ऑनलाइन मनी गेमिंग के माध्यम से शामिल अनुयोज्य दावे से है। चूंकि वाउचर निर्दिष्ट अनुयोज्य दावे की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे निर्दिष्ट अनुयोज्य दावे के अलावा, अनुयोज्य दावे के रूप में सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची III के पैरा 6 में शामिल हैं। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे मामले में भी, वाउचर में लेनदेन को न तो "माल की आपूर्ति" के और न ही "सेवाओं की आपूर्ति" के रूप में माना जाएगा।

3.7 इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि चाहे वाउचर को आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पूर्व भुगतान साधन के रूप में कवर किया गया हो या नहीं, वाउचर केवल एक साधन है जो आपूर्तिकर्ता पर इसे विचार या आंशिक विचार के रूप में स्वीकार करने का दायित्व बनाता है और वाउचर में लेनदेन को न तो माल की आपूर्ति के रूप में माना जा सकता है और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में। हालाँकि, अंतर्निहित वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति, जिसके लिए वाउचर का उपयोग प्रतिफल या आंशिक प्रतिफल के रूप में किया जाता है, जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य हो सकती है।

मुद्दा 2 - वितरकों/उप-वितरकों / एजेंटों आदि द्वारा वाउचर में किए गए लेन-देन हेतु जीएसटी व्यवहार क्या होगा?

4.1 वितरकों/उप-वितरकों / एजेंटों आदि के माध्यम से वाउचर के वितरण के लिए मुख्य रूप से दो मॉडल हैं-

(i) जहां वाउचर वितरकों/उप-वितरक/डीलरों के माध्यम से प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल (पी2पी) आधार पर वितरित किए जाते हैं।

(ii) जहां वाउचर एजेंटों/वितरक/उप-वितरक के माध्यम से दलाली/शुल्क के आधार पर वितरित किए जाते हैं।

4.2 जहां वाउचर वितरकों/उप-वितरक/डीलरों के माध्यम से प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल (पी2पी) आधार पर वितरित किए जाते हैं: ऐसे मामलों में, वितरक/डीलर, वाउचर जारीकर्ता से आमतौर पर रियायती दर पर वाउचर खरीदता है और बाद में उसे उप-वितरक, कॉर्पोरेट या अंतिम ग्राहकों को बेचता है और ट्रेडिंग मार्जिन के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करता है, जो उक्त वितरक/डीलर द्वारा वाउचर के अधिग्रहण लागत और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर होता है। ऐसे मामलों में, वितरक/डीलर (उप-वितरक सहित) वाउचर के मालिक होते हैं और खरीद से लेकर अंतिम उपयोगकर्ता को वाउचर की अंतिम बिक्री तक की प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण के साथ स्वायत्त रूप से काम करते हैं।

4.2.1 सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 (1) के अनुसार, जीएसटी माल और/या सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है। चूंकि वाउचर में लेन-देन न तो माल की आपूर्ति है और न ही सेवाओं की आपूर्ति, इसलिए, इस मामले में वाउचर का शुद्ध व्यापार न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा। तदनुसार, वाउचर का ऐसा व्यापार सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 (1) के अनुसार जीएसटी के लिए देय नहीं होगा।

4.3 जहां वाउचर वितरकों/उप-वितरक/ एजेंटों के माध्यम से कमीशन/शुल्क के आधार पर वितरित किए जाते हैं: ऐसे मामलों में, वाउचर जारीकर्ता और वितरकों/उप-वितरक/ एजेंटों के बीच लेन-देन प्रिंसिपल-एजेंसी के आधार पर होता है। वितरक/उप-वितरक/एजेंटों और वाउचर जारीकर्ता के बीच अनुबंध/समझौते के अनुसार ये व्यवस्थाएं ऐसे एजेंटों पर कमीशन/शुल्क या किसी अन्य राशि, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो, के बदले में वाउचर के वितरण के लिए दायित्व निर्दिष्ट कर सकती हैं, जैसे विपणन एवं संवर्धन तथा अन्य संबंधित सहायता गतिविधियाँ। ऐसे मामलों में, वितरक/उप-वितरक/एजेंट स्वायत्त रूप से काम नहीं करते हैं, वाउचर के मालिक नहीं होते हैं और केवल वाउचर जारीकर्ता के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे मामलों में, वाउचर जारीकर्ता के एजेंट के रूप में कार्य करने वाले ऐसे वितरक/उप-वितरक/एजेंट द्वारा, वाउचर जारीकर्ता को सेवा आपूर्ति के उद्देश्य से जांच किए गए कमीशन/शुल्क या किसी अन्य राशि, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो, पर जीएसटी देय होगा।

मुद्दा 3 - अतिरिक्त सेवाएं जैसे विज्ञापन, सह-ब्रांडिंग, विपणन एवं संवर्धन, अनुकूलन, प्रौद्योगिकी सहायता, ग्राहक सहायता आदि का जीएसटी व्यवहार क्या होगा?

5.1 ऐसे मामले हो सकते हैं, जहाँ सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता (वाउचर जारीकर्ता) के बीच अनुबंध/समझौते के अनुसार वितरक/उप-वितरक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वाउचर जारीकर्ता को विज्ञापन, सह-ब्रांडिंग, अनुकूलन सेवा, प्रौद्योगिकी सहायता सेवा, ग्राहक सहायता सेवा आदि जैसी अतिरिक्त सेवाएँ सेवा शुल्क/सेवा मूल्य/सहबद्ध मूल्य या किसी अन्य राशि, चाहे जिस भी नाम से संदर्भित किया जाए, के बदले में प्रदान की जाती हैं। ऐसे मामले में, अनुबंध/समझौते की शर्तों के अनुसार वाउचर जारीकर्ता को ऐसी अतिरिक्त सेवाओं की आपूर्ति के लिए उक्त सेवा शुल्क/सेवा प्रभार/सहबद्ध प्रभार या अन्य राशि पर जीएसटी लागू होगा और इसका उत्तरदायित्व, सेवा प्रदाता के हाथों में होगा।

मुद्दा 4 – अनुद्धारित (भंग) वाउचर का जीएसटी व्यवहार क्या होगा।

6.1 कभी-कभी, वाउचर अपनी समाप्ति अवधि के अंत में अप्रयुक्त/ अनुद्धारित रह जाते हैं। ऐसे मामलों में, व्यवसाय आमतौर पर पुस्तक समायोजन करते हैं और अपने आय विवरण में अनुद्धारित वाउचर के कारण उक्त राशि को शामिल करते हैं। आय विवरण में दर्ज ऐसे अनुद्धारित वाउचरों के मूल्य को भंग कहा जाता है। इस तरह की भंग के संबंध में जीएसटी व्यवहार के संबंध में अस्पष्टताएं और संदेह हैं। इसके अलावा, इस बात पर भी संदेह जताया गया है कि क्या अनुद्धारित वाउचर (भंग) के लिए निर्धारित राशि को “माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में, उसके प्रत्युत्तर में या उसके प्रलोभन के लिए, प्राप्तकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कार्य या सहनशीलता का मौद्रिक मूल्य, किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सब्सिडी शामिल नहीं होगी।”

6.2 सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार, जीएसटी केवल वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाएगा। भंग की स्थिति में, वाउचर का प्रतिदान नहीं होता है तथा अंतर्निहित वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति नहीं होती है। इसलिए, ऐसे अनुद्धारित (भंग) वाउचरों के कारण वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति नहीं होती है। इसके अलावा, जीएसटी के तहत “प्रतिफल” को वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2 (31) के तहत परिभाषित किया गया है। चूंकि ग्राहक द्वारा वाउचरों का उपयोग न किए जाने की स्थिति में वस्तुओं और/या सेवाओं की कोई अंतर्निहित

आपूर्ति नहीं होती है, इसलिए वाउचर जारीकर्ता द्वारा अनुद्धारित वाउचरों के लिए रखी गई राशि को किसी भी आपूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में नहीं माना जा सकता है। तदनुसार, अनुद्धारित (भंग) वाउचर से संबंधित ऐसी राशि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(1) के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य नहीं होगी।

6.3 इसके अलावा, **परिपत्र संख्या 178/10/2022-जीएसटी दिनांक 03.08.2022** स्पष्ट करता है कि किसी कार्य को करने या न करने के समझौते के होने को परिकल्पित नहीं किया जाना चाहिए, और कर योग्य आपूर्ति के लिए, प्रतिफल के भुगतान के बदले में कुछ करने या न करने के लिए एक स्पष्ट या निहित समझौता, मौखिक या लिखित रूप में होना चाहिए। उक्त परिपत्र में दिए गए सिद्धांत पर विचार करते हुए, यह बात सामने आती है कि जहां वाउचर माल और/या सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में प्रतिदान के उद्देश्य से जारी किया जाता है और वाउचर जारीकर्ता और उद्धारक के बीच वाउचर के उपयोग न करने के मामले में उद्धारक द्वारा वाउचर जारीकर्ता को किसी राशि या शुल्क के भुगतान के लिए कोई स्पष्ट या निहित समझौता, मौखिक या लिखित नहीं है, वहां उद्धारक द्वारा वाउचर का प्रतिदान न करना, सेवाओं की आपूर्ति के बराबर नहीं माना जा सकता है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि अनुद्धारित (भंग) वाउचर के कारण प्राप्त होने वाली राशि, जो कि प्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में, प्रतिक्रिया में या उसके लिए प्रेरित करने के लिए की गई हो, किसी भी कार्य या सहनशीलता के मौद्रिक मूल्य के रूप में नहीं समझी जाएगी। इसलिए, अनुद्धारित (भंग) वाउचर के से प्राप्त राशि पर कोई जीएसटी देय नहीं लगता है।

7. अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु को सार्वजनिक करने के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जाएं।

8. यदि इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

(संजय मंगल)

प्रधान आयुक्त (जीएसटी)